

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प- दांतारामगढ़

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी----- व भूअ.नि-----
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार----- / नायब तहसीलदार----- की अनुशंसा
के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम-----
तहसील दांतारामगढ़ व जिला सीकर की जमाबंदी संवत्----- में खाता संख्या-----
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	दांतारामगढ़	84	खेती माल 3 सुवर्णमाल	खेती माल 3 सुवर्णमाल 3 मुनाबिल जमाबंदी वगैरह

(जगदीश प्रसाद गौड़)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

क्रमांक:-

वि.दा.दा.कैम्प/

91-92

दिनांक:-

10/06/17

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री----- को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलेक्टर, दांतारामगढ़

10-6-17